



Centre for Electronic Governance

(Established by Government of Rajasthan)

Near Govt. R.C. Khaitan Polytechnic College, Jhalana Doongri

Jaipur- 302004, Ph:-2702344, Email: directorceg@gmail.com

Website: www.ceg.rajasthan.gov.in, www.cegrajasthan.org



क्रमांक: सीईजी / एफ(1352) / 2020 /

दिनांक: 14.03.2020

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में, संयुक्त सचिव त.शि से प्राप्त आदेश क्रमांक स्पेशल-1 दिनांक 14.03.2020 के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए समुचित कदम उठाये जाने के क्रम में सुरक्षा के तौर पर प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियाँ जिनमें विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों / अधिकारियों के एकत्रित होने की सम्भावना हो यथा कॉन्फ्रेन्स, वर्कशॉप, प्लेसमेंट, गेट एकादमी इत्यादि को दिनांक 30 मार्च, 2020 तक स्थगित किया जाता है। सभी कर्मचारी एवं अधिकारी कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के प्रयासों का कड़ाई से पालन करें एवं किसी कर्मचारी / अधिकारी में या उनके परिवारजन में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण प्रतीत हों तो तुरन्त प्रभाव से कार्यालय में सूचित करें एवं किसी से मेल-मिलाप न करें।

इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व की भांति कार्यालय में अपनी उपस्थिति दिया जाना सुनिश्चित करें।

(^१डॉ. संदीप कुमार)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्रमांक: सीईजी / एफ(1352) / 2020 / १५)

दिनांक: 14.03.2020

1. सभी शैक्षणिक सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि विद्यार्थियों को दिनांक 30 मार्च, 2020 तक कक्षाएँ संचालित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में सूचित करें।
2. होस्टल इन्चार्ज होस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. नोडल ऑफिसर, राज्य स्तरीय केन्द्रीयकृत प्लेसमेंट सैल इस माह में होने वाले सभी प्लेसमेंट ड्राईव को स्थगित करने की कार्यवाही करें।
4. सेन्टर हैड, डीएलबी को निर्देशित किया जाता है कि वे इस कार्यालय में डीएलबी, ट्रेनिंग से सम्बन्धित विद्यार्थियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाना स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक डीएलबी को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।
5. गेट एकादमी समिति को निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 30 मार्च, 2020 तक स्थगित करने की सूचना को विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
6. समस्त स्टॉफ के सचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(^१डॉ. संदीप कुमार)
निदेशक